

(अलग ओ.)

न्यायालय उपरबठ इन्चिजारी कोर्टकासिम (अलवर)

अर्चना पर सं०:- 169/17

शेरीसिंह बनाम सुखराम

31/11/17 पूर्व आदेश की पालना में आज पत्रावली पेश हुई।
अर्ची वकील द्वारा अजायबगण की तलबी के तलाबाने
की शीज रसीद पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के
अवलोकन से अर्ची का केस अस्माफेहारी, सुविधा
का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति की समाप्ता
अर्ची के हक में प्रतीत होती है अतः आर्पार निषेधाज्ञा
विकस अजायबगण आगामी पेशी दिनांक 11/12/17 तक
इस अग्र से जारी की जाती है कि वो आराती वनां
453/1 रकवा 0.16 है 0 बाके ग्राम खरोला तहसील
कोर्टकासिम पर जलून कब्जा नही करे, ना ही उपयोग
उपभोग वादी में किसी प्रकार की कोई मजाहमत
व मदावलात पेश करे, ना जलून रास्ता निवारणे
मौका की यथावत स्थिति बनाये रहे। 11/12/17 को पेश हो।

न्यायाधीश (अलवर)

11/12/17

कुछ कार्य करीके न. / श्रीमान ... सहित
राज कार्य में व्यस्त है। ...
दिनांक 2-1-18 को ...
समझें प्यारे हो।

21/1/18 श्री कचिबका (उप) अर्ची 1/10/15
के (उप 1/10) अर्ची के कारवा वाद में इकतदा
जा चुकी है तदनुसार एवम 1/10/18
में नो इकतदा जा चुकी है
जवाब खरवा है।
1 09. 2. 18 को अम के एवा अर्ची

अ

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

6/4/18 यादी के पत्र (10/3/18) मय/र सुदाम/2
दे. न. 25.5/18 को खोली है

पत्रावली का अवलोकन करया। प्रकरण लोक
अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने सं
पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में
सि. नं. 11.5-18 का पेश है।

11/5/18 पत्रावली केस कोर्ट में पेश हुई। जारी का कार्य
डिप्टी जिला जालुका है। (अपनाके पत्रावली
पत्रावली जिला जाला है। पत्रावली केस कोर्ट
में पेश करके ले जाया हो गया का कार्य किया।
संख्या 11.5/18 का पेश है।